

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
दुरभाष - 5159699

क्रमांक:- एफ 7 (303) रा.प्र.नि.मं./भण्डार/


दिनांक:

निविदा सूचना

मण्डल कार्यालय में स्टेशनरी आपूर्ति किये जाने हेतु मोहरबन्द निविदा दिनांक 27.02.2017 को अपराह्न 3 बजे तक आमन्त्रित की जाती है।

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित राशि	बोली अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क (रूपये)
1.	स्टेशनरी की आपूर्ति	8,00,000.00	16000.00	200.00

1. निविदा अमानत राशि के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
3. निविदा प्रपत्र एवं संबंधित दस्तावेज निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क, सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को नगद जमा करवाकर दिनांक 27.02.2017 को मध्याह्न 12.00 बजे तक कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकते हैं या वेबसाइट <http://rpcb.rajasthan.gov.in/> अथवा SPPP.raj.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क राशि रूपये 200/- निविदादाता द्वारा पृथक से डिमांड ड्राफ्ट, सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा। मोहर बन्द निविदा दिनांक 27.02.2017 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी, जो उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित निविदादाता/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।
4. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को होगा।


सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
4,पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी,जयपुर ।

क्रमांक:-एफ 7 (303) रा.प.नि. मं. /स्टोर/

दिनांक :-

निविदा प्रपत्र

- लेखन सामग्री खरीद हेतु.....निविदा ।
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम.....
- पता.....
- रजिस्ट्रेशन क्रमांकदिनांक.....
- किसको सम्बोधित किया जाना है।कार्यालय अध्यक्ष, रा.रा.प्र.नि.मं.....जयपुर ।
- निविदा शुल्क राशि 200/- रु नकद राशि कार्यालय रसीद संख्या.....
एवं दिनांकके द्वारा जमा करा दी गई / बैंकर्स चैक या बैंक ड्राफ्ट
क्रमांक..... दिनांक.....राशि रुपये 200.00 (रुपये दो सौ मात्र)
संलग्न है।
- निदेशक , सूचना एवं जन सर्म्पक निदेशालय द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ...
..... दिनांक में वर्णित सभी शर्तों एवं संलग्न निविदा शर्तों से
बाध्य होना स्वीकार करता है । (जिनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे
द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर किये हैं ।)
निम्नलिखित मदों कि सप्लाय के लिए हमारी दरें निम्नानुसार होंगी:-

S. No.	Particulars	Make/ Brand	Unit	Rate	Estimate Quantity	Cost
1	All Pin Packet	Zebra-100gm	per Packet		50 packet	
2	Binding Clip	19mm	Each		25 pkt.	
3	Binding Clip	25mm			25 pkt.	
4	C.D.	Writex	Each		500 Nos	
5	Cello Tape-Big 1/2"	Cello	Each		50 Nos	
6	Cello Tape-Small	Cello	Each		100 Nos	
7	Cello Tape 1"	Cello	Each		100 Nos	
8	Cello Tape 2"	Cello	Each		100 Nos	
9	Correcting Fluid-White	Kores	Each		50 Nos	
10	Correction Pen	Kores	Each		25 Nos	
11	Dak Pad	As per Sample)	Each		50 Nos	
12	Dak Pad Plastic		Each		50 Nos	
13	DVD	Writex	Each		200 Nos	
14	Envelop 6" X 5"		Per Thousand		5000 Nos	
15	Fevi Stick 8gm		Each		200 Nos	
16	File Lace	324	per Hundred		50 packet	
17	File Lace	924	per Hundred		50 packet	
18	File Pad 15" X10" 32 Once	Board Name Prented	Each		6000 Nos	
19	File Tag		700 Nos per bundal		25 Bundal	
20	File Cover (with Laminated)	Board Name Prented			5000 Nos	
21	Gem Clip	Zebra	per Packet		30 Packet	
22	High Lighter		per Packet		100 Packet	
23	Log Book (100Page)		Each		30 Nos	
24	Marker Pen - All Colours	Kores/ Cemel	Each		10 Each (50 Nos)	

20013-14 stationery tender

25	Note Sheet Continues (As per Sample)	Board Prented	Name	100 (Pad)	Page		
26	Note Sheet (As per Sample)	Board Prented	Name				200 pad
27	Packing Tape 3"						50 pad
28	Paper Knife			Roll			100 Rolls
29	Parmanent Marker Black			Each			30 Nos
30	Pen - Cello			Each			50 Nos
31	Pen			Each			200 Nos
32	Pencil - Ordinary			Each			20 Nos
33	Peon Book 160 Page	Cemel/ Natraj		Each			500 Nos
34	Photostat Paper Rim A4	TNPL 75 gms		Each			100 Nos
35	Photostat Paper Rim legal Size	TNPL 75 gsm		Each			1500 Rim
36	Pin Cushion			Each			300 Rim
37	Poker (Plastic Hendle)			Each			50 Nos
38	Post it 3"			Each			30 Nos
39	Post it 6"			per Packet			30 Packet
40	Post it (all Colour Flag Type)			per Packet			20 Pkt.
41	Punching Machine (280 No)	Kangaroo		Each			50 Nos
42	Punching Machine Big Size	Kangaroo		Each			20 Nos
43	Rulled Regiter 300 Page						100 Nos.
44	Rulled Register 200 Page						100 Nos.
45	Rulled Register 100 Page						100 Nos.
46	Scale - Steel			Each			50 Nos
47	Service Book 100 pages						50 Nos
48	Slip Pad - Big 33No	Neelgagan		Each			200 Nos
49	Slip Pad - Small	Neelgagan		Each			100 Nos
50	Slip Pad - Sprial Binding 33No	Neelgagan		Each			100 Nos
51	Stamp Pad	Ashoka		Each			20 Nos
52	Stapler - Big	Kangaro/ Max		Each			100.Nos
53	Stapler Pin - Big	Kangaro/ Max		Each			50 Pkt.
54	Stapler - Small	Kangaro/ Max		Each			50 Nos
55	Stapler Pin - Small	Kangaro/ Max		Each			500 Packet
56	Shapner (for Pencil)						100 Nos.
57	U Pin Plastic Coated			per Packet			50 Packet
58	Pen Drive 16 GB						50
59	Plastic Foler						50
60	Tea Coster						10

8. बैंक ड्रफ्ट/ बैंकर चैक संख्याजो (बैंक का नाम)
पर आहरित किया गया है। नकद रसीद संख्यादिनांक
.....रूपये के लिए अमानत राशि के पेटे संलग्न हैं ।
9. इसके साथ आयकर चुकता प्रमाण पत्र व अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग एजेंट होने का प्रमाण पत्र नवीनतम संलग्न किया जाना है बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हैं ।
10. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा - प्रत्र भी संलग्न किया जावे ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा एवं संविदा कि शर्तें

क्रमांक:-एफ 7 (303) रा.प.नि. मं. / स्टोर/

दिनांक:-

टिप्पणी:- निविदाकार को निविदा फार्म में दरें भरते समय इन बातों को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए ।

1. निविदा सूचना में दिये हुए निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करके भेजे जाने चाहिए।
2. दरों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें अंकों के साथ शब्दों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए । निविदा में राजस्थान बिक्री कर तथा केंद्रीय बिक्री कर का उल्लेख स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित किया जाना चाहिए।
3. निविदा उन फर्मों व व्यापारियों द्वारा ही दी जानी चाहिए, जो वस्तुओं/सामान/साज-सज्जाओं आदि के लिए रजिस्टर्ड / अनुमोदित प्रदायक हो या उनके द्वारा जो उस सामान/वस्तुओं का जिनके लिए निविदा दी जा रही है, वास्तव में व्यवसाय कर रहे हो । इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करावें।
4. अनुमोदित प्रदायक के संबंध में यह समझा जायेगा कि वास्तव में रख रखाव किये जाने वाले सामान संबंधी शर्तों, विस्तृत विवरण, आकार मेक और रेखाचित्र आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली गई है । यदि इन शर्तों , विस्तृत विवरण, आकार, मेक और रेखाचित्रों आदि के संबंध में संदेह हो तो निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर लेनी चाहिए तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।
5. निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा तथा न किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
6. यदि अनुमोदित किस्म, मेक या सामान में बदलाव किया है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जावेगा तथा निविदादाता को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के निर्धारित समय में उसको बदलना होगा। दरें चाहेनुसार मेक/किस्म की ही दी जानी हैं ।
7. दर संविदा का अनुबन्ध एक वर्ष के लिये होगा तथा आपसी सहमति से इसे बढ़ाया जा सकेगा।
8. अस्वीकृत कि गई वस्तुओं को अस्वीकृत की सूचना कि तारीख से एक सप्ताह के अन्दर निविदाकार द्वारा उसे अवश्य हटा लिया जाना चाहिए । संबंधित कर्मचारी ऐसे सामान का ध्यान अवश्य रखेंगे। लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र में रखे सामान को होने वाली हानि, कमी, क्षति के लिए किसी भी स्थिति में जिम्मेदार नहीं होंगे।
9. निविदाकार सामान के पैकिंग के लिए उत्तरदायी होगा तथा अच्छी स्थिति में क्रेता के कार्यालय में उसकी सुपुदगी देगा । प्राप्तकर्ता द्वारा माल सामान कि सुपुदगी लेते समय कोई भी हानि, क्षति, कमी टूट-फूट या सामान की मात्रा में कोई कमी पाई जावेगी तो निविदाकार उस क्षति, कमी टूट फूट आदि का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा इसके लिये निविदाकार को कोई राशि देय नहीं होगी।

10. वस्तुओं का प्रदाय संतोषप्रद नहीं होने पर संविदा किसी भी समय बिना किसी सूचना के निरस्त करने का अधिकार निविदा स्वीकारकर्ता को होगा।
11. निविदा टार्डिप की हुई या स्थाही से भरी जानी चाहिये पेंसिल से भरी हुई निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा में कोई परिवर्तन व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग यदि कोई हो तो उसे काटकर दुबारा लिखकर उस पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये। निविदा में फ्लुइड इंक का प्रयोग नहीं किया जावे।
12. निविदा के साथ राशि रूपमें 16000/-रु (अक्षरे सोलह हजार मात्र) को अमानत राशि प्रस्तुत की जावेगी। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। अमानत, राशि बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल, जयपुर के पक्ष में जमा करवायी जानी चाहिये। अमानत (बयाना) राशि पर कोई ब्याज आदि देय नहीं होगा।
13. (1) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएं स्वीकार कि गई है, उनके मूल्य के 5% के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करानी होगी।
2. निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।
3. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
4. प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:-
(क) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।
14. प्रदाय (सफ्लाई) की जाने वाली वस्तुओं के प्रति कोई अग्रिम देय नहीं होगा।
15. निविदादाता (जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी) द्वारा प्रदाय आदेश जारी करने की तारीख से 15 दिवस की अवधि के भीतर सामान का प्रदाय करेगा।
16. (1) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर उक्त अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
2. परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अविधि में वृद्धि करने के जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा हैं:-
(क) विहित सुपुर्दगी अवधि कि एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि कि आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5%
(घ) विहित अवधि कि तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10% होगी
3. प्रदाय में विलम्ब कि अवधि कि गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा। आधे या अधिक भाग को पूरा दिवस माना जावेगा।
4. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
5. यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा

जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह इसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने कि निर्धारित तारीख के बाद।

6. यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी कि अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
17. निविदाकार या इसके प्रतिनिधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली याचना के कारण संविदा अमान्य हो जावेगी।
18. अनुबन्ध तथा निविदा शर्तों को भंग करने, अनुबन्ध तथा निविदा शर्तों की पालना नहीं करने पर अनुबन्ध भंग कर दिया जावेगा तथा धरोहर राशि जब्त करली जावेगी। इस संबंध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।
19. क्रेता अधिकारी को किसी भी निविदा को जो न्यूनतम दर की निविदा नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार करने, रद्द करने तथा जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या उन में से किसी एक या अधिक के लिए निविदा अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
20. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जावेगा तथा सफल निविदादाता को क्रेता अधिकारी से सुपुर्दगी आदेश प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर माल सप्लाई करेगा। विलम्ब अवधि के लिए वित्तीय लेखा नियमों के अधीन वसूली की जावेगी।
21. निविदादाता निविदा के साथ PAN Number की प्रति, बिक्रीकर अधिकारी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की संख्या तथा संबंधित बिक्रीकर/वाणिज्यकर अधिकारी का गतवर्ष का बिक्रीकर चुकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन प्रमाण-पत्रों के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
22. कागज एवं स्टेशनरी आइटम के नमूनों को निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
23. सामग्री का ब्राण्ड/वजन/साईज/मात्रा/नाप/तोल निविदा में अंकित करना होगा।
24. निविदा प्रपत्र में वर्णित सामग्री के मेक/ ब्राण्ड के अतिरिक्त अन्य किसी मेक/ ब्राण्ड की दरें अंकित नहीं की जावें। जहाँ ब्राण्ड/मेक अंकित नहीं है। निविदादाता ब्राण्ड/मेक अंकित करेगा।
25. उपरोक्त शर्तों के अलावा निविदा में से किसी भी अन्य शर्त पर विचार नहीं किया जावेगा।
26. यदि किसी भी पक्ष द्वारा कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़े तो समस्त कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार जयपुर के न्यायालय होंगे। जयपुर के बाहर अन्य किसी स्थान पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जावेगी।
27. निविदा में वर्णित समान में क्रय की मात्रा आवश्यकता अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं।
28. यह निविदाएँ स्वीकृती आदेश से एक वर्ष तक मान्य रहेगी।

कार्यालयअध्यक्ष